प्रशासन गांवों के संग अभियान – 2021

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

सरकार बनाम जालूराम आदि

किस्म मुकदमा– धारा अन्तर्गत 131 व 132 एलआरए न मुकदमा 13 / 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/02/2022	तहसीलदार लूनकरनसर से ग्राम / चक हंसेरा के मुरबा / खसरा नम्बर 468 / 389, 467 / 389, 390, 391 मे से होकर सार्वजनिक रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्राप्त हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्राप्त रास्ता प्रकरण का अवलोकन किया गया जिसमें अंकन किया गया है कि मौके पर सार्वजनिक आवागमन के रूप में रास्ता चालू हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 के नियम 58,59,60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार लूनकरनसर के द्वारा अभिशंषित संलग्न प्रस्तावानुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेश में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित प्रचलित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार लूनकरनसर को आदेश दिया जाता है कि संलग्न प्रस्ताव निम्नानुसार हैं–	

क्र. सं	मु. नम्बर / ख.न.	रकबा बीघा में	किस्म भूमि	खसरावार रकबा जो रास्ते के काम आ रहा हें।	नाम खातेदार
1.	468 / 389	6.61	बा.2	0.19	जालूराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल सा. हंसेरा
2.	467 / 389	6.62	बा.2	0.14	संतोष पत्नि सोहनराम जाति मेघवाल सा. हंसेरा
3.	390 391	6.15 6.15	बा.1	0.13 0.12	माननाथ पुत्र साजननाथ जाति सिद्ध सा. हंसेरा

उक्त कृषिभूमि बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ते को पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे एवं नक्शे में तरमीम की जावे [illegible] रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान के खाते में ही रहेगी एवं [illegible] लूनकरनसर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव व नक्शा आदेश का [illegible] तदानुसार तहसीलदार लूनकरनसर को राजस्व अभिलेख में अमल [illegible] हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्त्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 15:33:31 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी